मुख्य सचिव ने सूचना आयोग के ऑनलाईन पोर्टल का किया लोकार्पण

❑ **देश का छठा राज्य बना छत्तीसगढ़ जहां ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में कर सकते हैं आवेदन**

❑ **सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है**

❑ **आयोग ने जनता की सुविधाओं में किया विस्तार-मुख्य सूचना आयुक्त राउत**

रायपुर (आरएनएस)। भारत में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है, जहां ऑनलाईन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) आवेदक आवेदन कर सकता है। सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है और जागरूक नागरिक शासन एवं प्रशासन से जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के लिए ऑनलाईन बेवपोर्टल तैयार किया गया है, जिसका आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कम्प्यूटर के एक बटन की क्लिक कर शुभारंभ किया। ऑनलाईन बेवपोर्टल का शुभारंभ आज राज्य सूचना आयोग कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी, धनवेन्द्र जायसवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह और राज्य सूचना आयोग के सचिव आनंद मसीह उपस्थित थे।

मुख्यसचिव अमिताभ जैन ने सुझाव दिए कि इस अवसर पर ऑनलाईन बेवपोर्टल को हिन्दी में बनाया जाय ताकि जो लोग कम्प्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं उन्हें इसके उपयोग करने में आसानी हो। जिसका लाभ आम नागरिकों को अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना का अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और

आयोग मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में शार्ट वीडियो बनाकर ऑनलाईन वेबपोर्टल की पूरी प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए, जिससे आम नागरिक इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कॉलेज स्तर पर और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी सूचना का अधिकार के ऑनलाईन बेवपोर्टल का हिन्दी में प्रचार-प्रसार कराएं तो ज्यादा लाभकारी होगा।

मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आयोग आवेदकों को नित नई सुविधा देने प्रयासरत है, जिसके तहत आज ऑनलाईन बेवपोर्टल का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि आवेदक, जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस अधिनियम के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।

यह ऑनलाईन बेवपोर्टल 24ड्ग7 दिन चालू रहेगा। राउत ने कहा कि इसके लिए वर्ष 2020 से प्रयासरत रहे, जो आज सफल हुआ और जनता को आरटीआई के लिए ऑनलाईन आवेदन करने का एक माध्यम मिला। राउत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 14 हजार से अधिक जनसूचना अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा।

राउत ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि शासन की ओर से सभी विभाग को पत्र जारी किया जाए, जिससे कि जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में ऑनलाईन करें। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है। आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन पंजीयन होने के बाद जनसूचना अधिकारी की जवाबदेही बढ़ जाएगी और 30 दिवस के भीतर ही आवेदक को ऑनलाईन जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।

एन.आई.सी. मंत्रालय, रायुपर के प्रभारी अशोक मौर्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर चाही गई सूचना को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा। ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यू.आर. कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग के ऑनलाईन बेवपोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर आयोग के अधिकारी ,कर्मचारी और मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण एवं खास

भेंट-मुलाकात : ग्राम काशीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के लिए सक्ती जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काशीगढ़ पहुंचे- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के लिए सक्ती जिला अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काशीगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बिलासपुर संभागायुक्त डॉ संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगी, सक्ती जिला कलेक्टर सुश्री नुपुर राशी पन्ना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों ने शाल भेंटकर और फूल माला पहनाकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया।

कांशीगढ़ में माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान सक्ती जिले के जैजैपुर विधानसभा के ग्राम कांशीगढ़ में स्थित माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने माँ चंद्रहासिनी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर मंदिर परिसर में आम का पौधा भी लगाया।

लड़की भगाने के शक में अधेड़ की पिटाई, बलवा का जुर्म दर्ज

महासमुंद (आरएनएस)। लडक़ी भगाने के शक में पांच लोगों ने अधेड़ की पिटाई कर दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज कर जांच में लिया है। कोमाखान पुलिस को सेनभांठा निवासी चैतराम सिन्हा ने बताया कि रविवार को सेनभांठा परसुली पुल के पास दीनदयाल सिन्हा, रवि सिन्हा, पन्नू सिन्हा, मोतीलाल सिन्हा और राजा सिन्हा ने उनका रास्ता रोककर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ, चप्पल से मारपीट की और परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 294, 323, 506 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

दो व्यापारी से 19 लाख का पटाखा बरामद

महासमुंद (आरएनएस)। मकान-दुकान में बिना लाइसेंस पटाखा भंडारण करने वालों को बसना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि दीपावली से पहले ही पटाखों के अवैध विक्रय और भंडारण को नियंत्रित करने बसना पुलिस ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बसना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर टिकरापारा बसना में व्यापारी भरत बजाज और प्रदीप खूबचंदानी से पूछताछ कर दुकान-मकान की तलाशी ली। जहां कार्टूनों में विभिन्न कम्पनी का भारी मात्रा में पटाखा मिला। भरत बजाज और प्रदीप कुमार को पटाखा रखने-बेचने का लाइसेंस दिखाने व पेश करने के लिए कहा गया। जिन्होंने पटाखा रखने-बेचने कोई भी वैधानिक दस्तावेज एवं लाइसेंस नहीं होना बताया। जिस पर व्यापारी भरत बजाज के कब्जे से 29 कार्टून विभिन्न कम्पनियों का पटाखा कीमती 13,69,732 रुपए और प्रदीप कुमार खूबचंदानी (29) के कब्जे से 15 कार्टूनों में विभिन्न कम्पनियों का पटाखा कीमती 5,37,130 रुपए जब्त किया गया। दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत थाना बसना में कार्रवाई की गई।

मक्के की खेती से आर्थिक रूप से सशक्त हुआ सालिक राम का परिवार

❑ **वन अधिकार पट्टे से मिले ढाई एकड़ ज़मीन में 18 क्विंटल से अधिक हुआ मक्के का उत्पादन**

❑ **परंपरागत कृषि छोड़ अपना रहे है आधुनिक कृषि पद्धति**

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित लोक-कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषक भी खेती-बाड़ी से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। राज्य शासन की पहल और अपने मेहनत से किसान सफलता की नई-नई कहानी गढ़ रहे हैं। यहां के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन में

सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए शासन-प्रशासन सतत् प्रयासरत है। किसानों को उनकी परंपरागत कृषि छोड़ नई-नई फसल लेने हेतु कृषि विभाग द्वारा पहल कर उन्हें नगदी फसल, व्यापारिक फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें आधुनिक कृषि से जोड़ा जा रहा है।

इसी कड़ी में गरियाबंद विकासखण्ड अंतर्गत वनांचल में बसे ग्राम जैतपुरी के सालिक राम ध्रुव ने कृषि विभाग के सहयोग और परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिले वन अधिकार पट्टा का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए उसमें मक्के की खेती कर रहे है। हालांकि इससे पूर्व में वे धान की फसल बोते थे। इस बार उन्होंने ढाई एकड़ के खेत में कृषि विभाग द्वारा मिले नि:शुल्क मक्के का प्रमाणित बीज (केएमएच-3426) बोया था। इससे उसे लगभग 18 क्विंटल मक्के का उत्पादन हुआ है। जिसमें से उन्होंने 8 क्विंटल से ज्यादा खुले बाज़ार में बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त किया। सालिक राम बताते है कि मक्के की अच्छी क्वालिटी को देखकर न सिर्फ आसपास के व्यापारी बल्कि दूसरे जिले के व्यापारी भी आकर उनसे मक्का खरीद रहे है। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ।

धान के फसल के बदले इस नई फसल से मिले आमदनी से उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। सालिक राम बताते है कि वे कृषि विभाग के परामर्श से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले मक्के की खेती कर रहे है। इससे अच्छे आय की प्राप्ति हो रही है। कुल उत्पादन में से बचे लगभग 10 क्विंटल मक्के को अब वे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत विक्रय कर इस योजना का अतिरिक्त लाभ लेंगे। सालिक राम अपने बेटे आत्माराम को भी अपने साथ ही खेती किसानी के गुर सिखा रहे है। अब दोनों साथ मिलकर खेती-किसानी कर रहे है। उनके पुत्र आत्माराम ने बताया कि इस बार धान के बदले मक्के की फसल से अच्छी उपज हुई है, जिससे पूरे परिवार अधिक प्रोत्साहित हुए है।

महिला आयोग ने रायपुर जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित की कार्यशाला

रायपुर (आरएनएस)। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता एवं आयोग की सदस्यगण डॉ अनीता रावटे एवं अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आधारित शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय रायपुर में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहने को तो गैर कानूनी है फिर भी यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण से देह व्यापार व बंधुआ मजदूरी तक के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि मानव व्यापार की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, हम सभी को मानव व्यापार के खतरों और उसके दुष्प्रभाव के बारे में गांव एवं शहर के लोगों को जागरूक करना होगा। डॉ. नायक ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ प्रत्येक जिले में जा रही है। कार्यशाला में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास के विषय पर विस्तृत परिचर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक रायपुर ने जिले के परिदृश्य में अवगत कराया गया कि जिले में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से परंपरागत रूप से मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए लोग बाहर जाते है।

मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश : 7 बाइक जब्त, एक नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। पुलिस चौकी रामपुर एवं सायबर सेल टीम के द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 मोटरसाइकिल जप्त किया गया है ए मामले में 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 01 नाबालिग भी शामिल है।

पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा अपराधिक घटनाओं एवं चोरियों पर लगाम लगाने हेतु सख्त कार्यवाही करने हेतु सभी थाना/ चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। संतोष सिंह से मिले निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में सायबर सेल एवं चौकी रामपुर प्रभारी उप निरी कृष्णा साहू द्वारा टीम के साथ मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के बारे में पतातलाश किया जा रहा था, पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पकड़े गए नाबालिग से पूछताछ पर ज्ञात हुआ था कि आरोपीगण मनोज कुमार मिरी, शिवा कुमार एवं एक नाबालिक के द्वारा कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ के आस पास मोटरसाइकिल की चोरी की जा रही है, नाबालिग से मिले सूचना की तसदीक की जा रही थी, आज 11 अक्टूबर 2022 को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला कि आरोपीगण मनोज कुमार मिरी शिवा कुमार एवं एक नाबालिक के द्वारा चोरी किए गए 7 मोटर साइकिलों को बिक्री करने के उद्देश्य से छिपा कर रखा गया है।

भिलाई में शीघ्र प्रारंभ होगा जिले का पहला आधुनिक विद्युत शवदाह गृह, इंस्टॉलेशन सहित अनेकों कार्य पूर्ण

❑ **मेयर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास ने मुक्तिधाम पहुंच कर लिया जायजा**

भिलाई (आरएनएस)। जिले का पहला विद्युत शवदाह गृह भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में बनकर तैयार हो चुका है। मुक्तिधाम में मेयर नीरज पाल और निगम आयुक्त रोहित व्यास ने संयुक्त रूप से विद्युत शवदाह पहुंचकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसके लिए शेड सहित कमरा निर्माण किया जा चुका है मशीन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। विद्युत

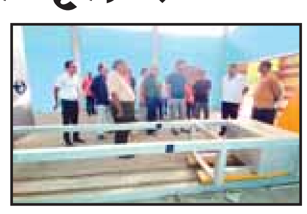

सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा चुके हैं। विद्युत शवदाह में शवदाह की प्रक्रिया की बात करें तो आधे घंटे में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और अस्थि आदि प्राप्त करने के लिए और आधे घंटे का समय लगेगा। पूरा प्रोसेस अगर देखे तो 1 घंटे में शवदाह एवं अस्थि संग्रहण की प्रक्रिया पुर्ण हो जायेगी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह विद्युत शवदाह गृह बहुत उपयोगी है, लकड़ी और कंडे के अभाव में भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी तथा कम मात्रा में लकड़ी और कंडे की खपत होगी। दिन में यदि इसके शवदाह की प्रक्रिया को समझे तो 10 घंटे में 8 से 10 शवदाह हो पाएंगे।

बारिश के दिनों में भी यह काफी कारगार साबित होगा, क्योंकि इन दिनों अधिकतर लकड़ी और कंडे के बारिश में भीगने की संभावना अधिक हो जाती है। इसको चालू करने के लिए कुछ प्रक्रिया ही शेष रह गई है, इसके बाद इसे शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य में लगभग 52 लाख रुपए खर्च हुए हैं, इसका संचालन एवं संधारण के लिए एजेंसी 2 साल तक काम करेगी तथा इसे मेंटेन रखेगी, इसके अलावा इससे संबंधित प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। एक तरह से यह आधुनिक विद्युत शवदाह गृह होगा जो कि भिलाई में अपने तरह का पहला शवदाह गृह होगा। विद्युत शवदाह गृह में लकड़ी और कंडे में होने वाले खर्च की अपेक्षा पैसे की बचत होने की संभावना अधिक जताई

महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं राज्यपाल

❑ **प्रवास के दूसरे दिन भगवान महाकाल के किए दर्शन, देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की**

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल अनुसुईया उइके गत दिवस उज्जैन में महाकाल लोक' के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई। गत दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिवार्पण कार्यक्रम में महाकाल लोक को विश्व को समर्पित किया। राज्यपाल सु उइके इस भव्य कार्यक्रम की साक्षी बनी।

राज्यपाल सु उइके ने तत्पश्चात

महाकाल लोक के सम्पूर्ण प्रांगण का अवलोकन किया और इसकी भव्यता देखकर अभिभूत हुईं। उन्होंने शिव पुराण पर आधारित भित्ति चित्रों सहित परिसर के अन्य नवनिर्मित स्थानों के भ्रमण उपरांत रूद्र सरोवर के तट पर कुछ समय व्यतीत किया। राज्यपाल ने कहा कि अब श्रद्धालु महाकाल लोक के भ्रमण मात्र से भगवान शिव की महिमा और वैभव से अवगत होंगे। यह शिवमय परिसर भगवान महाकाल को समर्पित है और उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धालु अब और व्यवस्थित व सहज तरीके से भगवान महाकाल के मंदिर तथा महाकाल लोक का दर्शन ले पाएंगे। भ्रमण के दौरान मध्यप्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सु उषा ठाकुर भी उपस्थित रहीं और उन्होंने राज्यपाल को ' महाकाल लोक' से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी।

राज्यपाल उइके ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना- उज्जैन प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल उइके ने आज महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महाकाल से देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बस्तर के पहले राजा अन्नमदेव ने करवाया था 52 वें शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण

❑ **दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर का निर्माण बस्तर के राजा रुद्रप्रताप देव ने 1890 करवाया**

जगदलपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में माता दंतेश्वरी का मूल मंदिर स्थित है। मां दंतेश्वरी के मंदिर को देश का 52 वां शक्तिपीठ माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण बस्तर के पहले राजा अन्नमदेव ने लगभग 800 वर्ष पहले करवाया था। दन्तेश्वरी देवी को, दुर्गा जी का प्रतिरूप मानकर पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान देवी मां दंतेश्वरी के मुख मण्डल में अपूर्व तेजस्विता विद्यमान है, जिसकी आंखें चांदी से निर्मित है। गहरे, चिकने काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति की छह भुजाएं हैं, जिनमें शंख, खड्ग, त्रिशुल, घंटा, पाश और एक हाथ से राक्षस के बाल पकड़े हुए है। मूर्ति का एक पांव सिंह पर रखा हुआ है, मांई जी की प्रतिमा के पैरों के समीप दाहिनी ओर एकपाद भैरव की मूर्ति तथा बाईं ओर भैरवी की मूर्ति स्थापित है। मांई दन्तेश्वरी जी के भव्य मूर्ति के पीछे पृष्ठ भाग पर मुकुट के ऊपर पत्थर से तराशी गई कलाकृति नरसिंह अवतार के द्वारा हिरण्य कश्यप के संहार का दृश्य है।

इस मंदिर को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत राष्ट्रीय

महत्व का दर्जा प्राप्त है। दंतेश्वरी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पहले एक गरूढ़ स्तम्भ दिखाए देगा। इसे बारसूर से लाकर स्थापित किया गया था, यह 01 हजार साल पुराना गरूढ़ स्तम्भ है। मंदिर के दूसरे कक्ष में विष्णु की प्रतिमा है और दंतेश्वरी के मंदिर के गर्भ गृह में दंतेश्वरी देवी के ऊपर भगवान नरसिंह की भी प्रतिमा है। इसीलिए यहां गरूढ़ स्तम्भ स्थापित करना जरूरी हो गया था। क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिरों के सामने गरूढ़ स्तम्भ बनाए जाने की परम्परा है। मंदिर के भीतर गर्भगृह को मिलाकर चार कक्ष बने हैं। पहला प्रांगण है दूसरे में देवी-देवतओं की मूर्तियां है तीसरा कक्ष गर्भगृह के ठीक पहले है, और अंत में है गृभगृह है।

दंतेवाड़ा मंदिर में अंदर जाने पर आपको तीन शिलालेख मिलेंगे और अलग अलग देवी-देवताओं की 56 पत्थर की प्रचीन मूर्तियां भी मिलेंगी। मंदिर में 1140 और 1160 के शिलालेखी साक्ष्यों से पता चलता है यहां की मूतियां लगभग 800 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। दंतेश्वरी मंदिर के इतिहास पर गौर करें तो इसे बस्तर के पहले राजा अन्नमदेव ने बनवाया फिर दूसरी बार महारानी प्रफुल्लदेवी और प्रफुल्लचंद भंजदेव के आग्रह पर 1932-33 में ब्रिटिश प्रशासक डीआर रत्नम आईसीएस और मुंशी उमाशंकर एसडीओ के निर्देशन में किया गया। मंदिर में तीन शिलालेख, जय-विजय की 06 मूर्तियां, भैरवी की तीन मूतियां, दक्षिणमुखी शिवलिंग, भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान गणेश की मूर्तियां और 09 ग्रहों की आकृतियां बनी हैं।